

भारत सरकार
केंद्रीय लोक निर्माण विभाग
कनिष्ठ अभियन्ता/अनुभाग अधिकारी (उद्यान) हेतु विभागीय परीक्षा
सामान्य लेखा
सितंबर 2016

अनुमत्य समय 3 घंटा

पूर्णांक : 100

नोट 1 सभी प्रश्नों के उत्तर दें।

2 निम्नलिखित फार्म व दस्तावेज परीक्षार्थियों को प्रदान किया जाए।

(क) चल लेखा बिल फार्म के.लो.नि.ले. 26 (ख) रक्षित पेशगी फार्म संख्या के.लो.नि.ले. 26-A

प्रश्न संख्या 1 कार्यालय-भवन के निर्माण कार्य के लिए मेसर्स बिल्डर्स (प्रा.) लि. का निम्न विवरणों के लिए चौथा चल लेखा बिल तैयार करें।
(अंक 30)

कार्य की मदें	निविदित दरें। प्रति इकाई (रु.)	इकाई	मापी गई मात्राएं	
			पिछले बिल तक	अद्यतन माप
1. नींव में मृदा कार्य	220.00	घन मी	6000 घन मी	6600 घन मी
2. नींव में सादी सीमेन्ट कंक्रीट का कार्य	7200.00	घन मी	75 घन मी	80 घन मी
3. नींव में प्रबलित सीमेन्ट कंक्रीट का कार्य	7400.00	घन मी	-----	600 घन मी
4. स्तम्भों व धरणों में प्रबलित सीमेन्ट कंक्रीट का कार्य	7800.00	घन मी	-----	500 घन मी
5. टीएमटी सरियों द्वारा प्रबलन	75.00	कि.ग्रा.	-----	110 मी टन
6. सीमेन्ट से ईंटों की चिनाई का कार्य	5600.00	घन मी	400 घन मी	300 घन मी

- (क) ठेकेदार ने निविदित दरों पर 1.5% की बिना शर्त छूट प्रदान की।
- (ख) कार्यपालक अभियन्ता ने नींव में सादी सीमेन्ट कंक्रीट के कार्य पर रु.6,000/- प्रति घन मी की दर से पार्ट रेट स्वीकृत किया।
- (ग) ठेकेदार के पिछले बिल में 100 घन मी की ईंटों की चिनाई का कार्य अधिक मापे जाने की जानकारी हुई। इस मदद की पुनः माप की गई तथा मात्रा अनुसूची में इसे ठीक किया गया।
- (घ) ठेकेदार के प्रथम बिल से कार्य में दोष दूर करने के लिए रु.50,000/- रोका गया था। इस चौथे चल लेखा बिल के तैयार होने तक ठेकेदार द्वारा कार्य में दोषों को दूर कर दिया गया।
- (ङ) तृतीय चल लेखा बिल में मद सं. 2, 3 एवं 4 के लिये किये गये किन्तु मापे न जा सके कार्य के लिये रु. 50,00,000/- का अग्रिम भुगतान किया गया।
- (च) ठेकेदार को द्वितीय चल लेखा बिल में 150 मी टन टीएमटी सरिया जिसकी पूर्ण आकलित दर रु.45,000/- प्रति मी टन है के लिये रक्षित पेशगी दी गई। इस बिल तक 110 मी टन टीएमटी सरिया कार्य में उपयोग किया गया तथा मापा गया। ठेकेदार को इस बिल में कार्यस्थल पर लाये गये 50 मी टन अतिरिक्त टीएमटी सरिया के लिये रक्षित पेशगी का भुगतान करना है।
- (छ) ठेकेदार के बिल से निम्नलिखित अन्य वसूलियां भी की जानी है।
- 1] स्टोर से रु.6,000/- प्रति मी.टन व 4% भण्डार शुल्क अतिरिक्त के दर से जारी 350 मी.टन सीमेन्ट।
 - 2] पानी के प्रयोग लिये कृतकार्य के मूल्य के 1% की दर से।
 - 3] खराब कार्य के लिये रु.50,000/- का अर्थदण्ड।
 - 4] सुरक्षा धनराशि के लिये किये गये व मापित कार्य के मूल्य के 2.5% की दर से।
 - 5] कार्य संविदा कर के लिये किये गये व मापित कार्य के मूल्य के 2% की दर से।
 - 6] श्रम प्रतिकर के लिये किये गये व मापित कार्य के मूल्य के 1% की दर से।
 - 7] आयकर के लिये किये गये व मापित कार्य के मूल्य के 2% की दर से (लागू अधिभार व प्रतिकर अलग से)।

प्रश्न संख्या 2 रक्षित पेशगियां क्या है ? ठेकेदार को रक्षित पेशगी का भुगतान करते समय क्या सावधानियाँ रखनी चाहिये ? निम्नलिखित आकड़ों के लिए 'मेसर्स कान्स' का रक्षित पेशगी का लेखा बनाये तथा इसे फार्म 26-A में दर्ज करें।

(अंक 20)

- (अ) प्रथम चल लेखा बिल के साथ 2,50,000 इंटों के लिए रक्षित पेशगी का भुगतान रु.6000/- प्रति 1000 ईंट की दर से बकाया था। इस चल लेखा बिल तक 1,49,000 ईंटों का प्रयोग कार्य पर कर किया गया एवं

इससे हुये कार्य का भुगतान किया जा रहा है। इस बीच कार्यस्थल पर लायी गई 1,00,000 ईटो के लिये रक्षित पेशगी का भुगतान किया जाना है।

- (ब) ठेकेदार द्वारा कार्य में प्रयोग हेतु 500 घन मी पत्थर की गिट्टी रु.1500/- प्रति घन मी के बाजार मूल्यपर कार्यस्थल पर लायी गयी।
- (स) ठेकेदार से कार्यस्थल पर जमा करने के लिए 1000 वर्ग मी 10 मिमी कांच के लिए रु.500/- प्रति वर्ग मी के दर से रक्षित पेशगी देने का आवेदन प्राप्त हुआ।
- (द) ठेकेदार को पिछले चल लेखा बिल के साथ बिना पैमाइश किए गए कार्य के लिए रु.10,00,000/- का अग्रिम भुगतान किया गया जिसे इस चल लेखा बिल के साथ वसूला जाना है।

प्रश्न संख्या 3 निम्नलिखित में अन्तर स्पष्ट करें।

(अंक 5x2=10)

- (क) अस्थायी अग्रिम एवं स्थायी अग्रदाय।
- (ख) तकनीकी स्वीकृति तथा व्यय स्वीकृति।
- (ग) बहीखाता मूल्य तथा निस्तारणीय / कबाड़ मूल्य।
- (घ) करार के खण्ड 2 तथा खण्ड 5।
- (ङ) प्रतिभूति निक्षेप तथा निष्पादन गारण्टी।

प्रश्न संख्या 4 निम्नलिखित कार्यों के लिए लेखा शीर्ष लिखें।

(अंक 10x1=10)

- (क) सामान्य पूल रिहायशी आवास का निर्माण।
- (ख) अस्पताल भवन का निर्माण।
- (ग) इन्डो-बांग्लादेश बार्डर रोड का निर्माण।
- (घ) आयकर कार्यालय भवन का निर्माण।
- (ङ) जी एस आई रिहायशी कालोनी की विशेष मरम्मत।
- (च) पंजाब नेशनल बैंक के कार्यालय भवन का निर्माण।
- (छ) सामान्य पूल रिहायशी भवन का उन्नयन।
- (ज) निर्माण भवन का अनुरक्षण।
- (झ) अतिथि गृह के लिए फर्नीचर की खरीद।
- (ञ) ठेकेदार को प्रतिभूति निक्षेप की वापसी।

प्रश्न संख्या 5 निम्नलिखित विषयों पर संक्षिप्त लेख लिखें।

(अंक 5x2=10)

- (क) लक्ष्यों का पुनर्निर्धारण।
- (ख) जमा कार्य।
- (ग) गतिशीलता अग्रिम।
- (घ) ठेके को समय पूर्व बद करना।
- (ङ) निष्पादन गारण्टी की वापसी।

प्रश्न संख्या 6 निम्न मामलों में कार्यपालक अभियंता/उपनिदेशक(उद्यान) को क्या वित्तीय शक्तियों प्रदत्त है। (अंक 5x2=10)

- (अ) बिना निविदा कार्य का आवंटन।
- (ब) अपने क्षमता के अन्तर्गत कार्यों के लिए अतिरिक्त/स्थानापन्न मदों की स्वीकृति।
- (क) छुटपुट लेखन सामग्री की स्थानीय खरीद।
- (द) सिविल/वैद्युत/उद्यान के रखरखाव के कार्यों के लिए विस्तृत अनुमान को तकनीकी स्वीकृति।
- (इ) उच्च अधिकारियों के शक्तियों के अन्तर्गत आवंटित कार्य के लिए विचलन की स्वीकृति।

प्रश्न संख्या 7 निम्नलिखित मामलों में के.लो.नि.वि. कार्य नियमावली में निर्धारित निर्देशों का वर्णन करें। (अंक 5x2=10)

- (अ) धरोहर राशि के विभिन्न प्रकार।
- (ब) समापन प्रमाण पत्र दर्ज करना।
- (स) ठेकेदार को प्रतिभूति निक्षेप की वापसी।
- (द) विवाद निवारक मशीनरी।
- (इ) निविदा का प्रचार।

नोट : उपरोक्त वर्णन में किसी प्रकार की विसंगति की दशा में अंग्रेजी प्रश्न पत्र का संदर्भ लें।